भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. †*151
दिनांक 30.07.2025 को उत्तर देने के लिए

जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधि का उपयोग

†*151. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ओडिशा में कंधमाल और बौध जैसे आकांक्षी जिलों, जहां सक्रिय रूप से प्रमुख खनन कार्य नहीं हो रहे हैं, में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधि के उपयोग हेतु प्रचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए हैं अथवा जारी करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जिलों में विकास परियोजनाओं के लिए किन-किन अभिसरणों अथवा एकत्रित निधियन तंत्रों की अनुमति दी गई है; और
(ग) संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऐसे जिलों के लिए प्राप्त अथवा स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या का ब्यौरा क्या है और निधियों के आवंटन और उपयोग सहित उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

‘जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधि का उपयोग’ के संबंध में संसद सदस्य श्री सुकांत कुमार पाणिग्रही द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2025 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. †*151 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) खान मंत्रालय ने दिनांक 9 जुलाई, 2025 को 'आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम' के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य डीएमएफ कार्यों को प्रमुख आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी)/ आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) क्षेत्रों के अनुरूप रखना और खनन प्रभावित समुदायों के लिए कई गुणा प्रभावी और ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए चल रही केंद्रीय/राज्य योजनाओं के साथ डीएमएफ निधियों को जोड़ना है। एडीपी के पांच मुख्य विषय यथा स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा आधारभूत अवसंरचना जनवरी 2024 में मंत्रालय द्वारा जारी प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अनुरूप हैं। कुल 112 आकांक्षी जिलों में से 106 जिले डीएमएफ जिले भी हैं, जिसमें ओडिशा का कंधमाल जिला भी शामिल है। तथापि, ओडिशा का बौध जिला आकांक्षी जिला नहीं है।

इसके अलावा, पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों की धारा-2 में यह प्रावधान है कि पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यकलाप, जहां तक संभव हो, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित चल रही योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक स्वरूप होने चाहिए। योजनाएं बनाते समय, डीएमएफ एडीपी और एबीपी के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति को प्राथमिकता देंगे।

ओडिशा राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डीएमएफ कंधमाल जिले के अंतर्गत कुल 18 लाख रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और उन्हें पूरा किया गया है।

*****